न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 46/18
निर्णय दिनांक : 18.06.2018

1. मूलचन्द पुत्र रामचन्द्र
2. छोटू पुत्र रामचन्द्र
3. छीतर पुत्र रामचन्द्र
   समस्त जाति जाट नि0 देवन्दा की ढाणी महेशवास तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक
   सीताराम पुत्र रामकरण (फौत)
2. सम्पतिदेवी पुत्री सीताराम
3. कमलेश पुत्र सीताराम
4. पूरण पुत्र सीताराम नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती जमनादेवी पत्नि सीताराम
5. जमनादेवी पत्नि स्व0 सीताराम
6. रामनिवास पुत्र रामकरण
7. सुनिता पुत्री हनुमान नाबालिग संरक्षक रामकरण पुत्र बालू
8. धापू पत्नि रामकरण
9. बोदूराम पुत्र बालू
   समस्त जाति जाट नि0 देवन्दा की ढाणी महेशवास तह0 फुलेरा जिला जयपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू0 राजस्व अधिनियम

बाबत किये जान दुरुस्ती राजस्व नक्शा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खं0नं0 61/1 रकबा 17 बीघा 11 विस्वा ग्राम महेशवास प0ह0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसके लगवा प्रार्थीगण की अन्य खातेदारी भूमि खाता सं0 नया 106, पुराना 96 खं0नं0 55/2, 56/1, 66, 67 तथा खाता सं0 222 नया पुराना 210 की आराजी खं0नं0 55/1 रकबा 18 विस्वा, खाता सं0 नया 223 पुराना 211 के खं0नं0 55/3, 56/2 कुल रकबा 27 बीघा भूमि ग्राम महेशवास में स्थित है। उक्त भूमि खं0नं0 61/1 के लगवा खं0नं0 61/2 रकबा 15 बीघा भूमि जो कि अप्रार्थी सं0 2 लगा0 9 की खातेदारी में दर्ज भूमि स्थित है। उक्त भूमि खं0नं0 61/1 व 61/2 में वर्तमान में स्थित कुल भूमि 32 बीघा 17 विस्वा का मूल खं0नं0

पूर्व में ख0नं0 61 था जो कि सन् 1969 में विभाजित होकर बिरदीदेवी बेवा बालू बेवा कौम जाट साकिन श्योसिंहपुरा के नाम 15 बीघा भूमि का विभाजन हुआ। इसी अनुसार नक्शें में मूल ख0नं0 61 में ख0नं0 61/2 रकबा 15 बीघा कायम कर नक्शें में इन्द्राज किया गया जो कि मौका स्थिति के विपरित नक्शें में इन्द्राज करते हुये नक्शा कायम किया गया है जबकि ख0नं0 61/2 जिस स्थान पर दर्शाया गया है उस स्थान पर पूर्व से ही रामचन्द्र के वारिसान प्रार्थीगण ही काबिज है जिनकी उपरोक्त अन्य खातेदारी भूमि भी लगवा ही है एंव प्रार्थीगण उसी अनुसार काबिज होकर वर्षो से उपयोग उपभोग करते आ रहे है मूल ख0नं0 61 का विभाजन किया जाकर जमाबन्दी में प्रार्थीगण के नाम ख0नं0 61/1 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा का अंकन किया गया जबकि जमाबन्दी के अनुसार मौके पर नक्शें में तरमीम न करके नक्शे में प्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि व खातेदारी में दर्ज भूमि 17 बीघा 11 बिस्वा के स्थान के विपरित ख0नं0 61/2 रकबा 15 बिस्वा जो अप्रार्थी सं0 2 लगा0 9 के नाम दर्ज है के नाम भूमि के अनुसार नक्शें में इन्द्राज किया गया है जो गलत है एवं मौका स्थिति के विपरित है। ख0नं0 61/1 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा भूमि जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिस स्थान पर राजस्व नक्शें में दर्शित किया गया है उस स्थान पर वास्तविक रूप से अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 6 नक्शें में दर्शाये स्थान पर काबिज है एवं प्रार्थीगण नक्शें में दर्शायें ख0नं0 61/2 के स्थान पर मौके पर काबिज है। इसी अनुसार राजस्व नक्शें में संशोधन/दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद पक्षकारान के मध्य पैदा नहीं हो। वर्तमान में प्रार्थीगण राजस्व नक्शें में दर्शित स्थान ख0नं0 61/2 पर काबिज है एवं ख0नं0 61/1 पर दर्शित स्थान पर अप्रार्थी सं0 2 लगा0 9 काबिज होकर उक्त स्थानों पर दर्शित भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है। वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड में दर्शित स्थान ख0नं0 61/2 जिसे अप्रार्थी सं0 2 लगा0 6 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया गया है वह कायम रकबे के अनुसार भी मौके की स्थिति के विपरित है क्योकिं ख0नं0 61/2 पर दर्शित स्थान जहा पर प्रार्थीगण काबिज है उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा ही है एवं अप्रार्थीगण अपनी रकबा15 बीघा भूमि जो ख0नं0 61/1 के स्थान पर दर्शित पर काबिज है इसी अनुसार राजस्व नक्शें में संशोधन किया जाकर अंकन किया जाना आवश्यक है चूकि वर्तमान में दर्शित राजस्व नक्शें में ख0नं0 61/1 व 61/2 को मौके पर पक्षकारान के कब्जे अनुसार दर्शित न किया जाकर विपरित नंबर दर्शित किये गये है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को राजस्व नक्शें की नकल दिनांक 24.04.18 को प्राप्त करने से हुई है इसलिए यह प्रा0पत्र राजस्व नक्शें में पक्षकारान के मौके पर कब्जें व दर्ज रकबे के अनुसार राजस्व नक्शें में संशोधन करवाये जाने हेतु पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र हिरनोदा में पेश हुयी। पक्षकारान उपस्थित है तहसीलदार ने नक्शा दुरूस्ती तरमीम का सहमति का पेश किया। पक्षकारान ने उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नक्शा दुरूस्ती तरमीम का सहमति का ध्यानपूर्वक

खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के पश्चात् प्रार्थीगण का प्रा.पत्र लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नं. 61/1 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा एवं ख. नं. 61/2 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम महेशवास के राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा किश्तवार में संशोधन हेतु तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आपसी सहमति के आधार पर लोक अदालत की भावना से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 सपठित धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रस्तावित संशोधित नक्शा प्रस्ताव मय पक्षकारान सहमति इस आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार फुलेरा को तहरीर जारी होकर राजस्व रिकॉर्ड एवं किश्तवार में पालना हेतु स्वीकृत शुदा प्रस्ताव की प्रति भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 18.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत कैम्प हिरनोदा में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner